संख्या-9/2026/204-2026- 57-1099-87-2025

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:- **भगवान श्रीराम मन्दिर के सन्निकट ग्राम-जलवानपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद अयोध्या रामपथ के समीप पार्किंग के निर्माण हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या-833/जलवानपुर/भूमि/2025, दिनांक 18.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भगवान श्रीराम मन्दिर के सन्निकट ग्राम-जलवानपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद अयोध्या रामपथ के समीप पार्किंग के निर्माण हेतु जनपद अयोध्या में ग्राम-जलवानपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर रामपथ के समीप श्री राम मन्दिर जन्मभूमि प्रवेश द्वारा संख्या-03 के सामने गाटा संख्या-60, अ60, ब61, 62 व 63 के कुल रकबा 0.7940 हे0 को क्रय किये जाने हेतु आंकलित धनराशि रू0 3,44,47,600/- (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख सैंतालिस हजार छः सौ रूपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा भगवान श्रीराम मन्दिर के सन्निकट ग्राम-जलवानपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील-सदर, जनपद अयोध्या रामपथ के समीप पार्किंग के निर्माण हेतु जनपद अयोध्या में ग्राम-जलवानपुर, परगना-हवेली अवध, तहसील सदर रामपथ के समीप श्री राम मन्दिर जन्मभूमि प्रवेश द्वारा संख्या-03 के सामने गाटा संख्या-60, अ60, ब61, 62 व 63 के कुल रकबा 0.7940 हे0 को क्रय किये जाने हेतु आंकलित धनराशि रू0 3,44,47,600/- (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख सैंतालिस हजार छः सौ रूपये मात्र) की प्रशासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए सम्पूर्ण धनराशि रू0 3,44,47,600/- (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख सैंतालिस हजार छः सौ रूपये मात्र) को एकमुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति पर सहमति जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, अयोध्या स्वयं उत्तदरदायी होंगे।

(6) जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,44,47,600/- (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख सैंतालिस हजार छः सौ रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक-**4250008001700 धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु **मानक मद-**60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-5-310-X-2025-26-दिनांक:30-3-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या/लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या/लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।